न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

| प्रार्थी | विपक्षी |
|---|---|
| बपुलाल पिता मावजी निवासी भिण्डा | श्री कारीलाल पिता मावजी वगैर(10) निवासी भिण्डा |
| किस्म मुकदमा सह पठित धारा 151, ऑर्डर 39 रूल्स 1व 2 | पत्रावली संख्याः 30/2018 (2018/00076) |

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक 25.02.2020<br>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी विवादित भूमि का संयुक्त खातेदारी कृषक होकर उनका कब्जा काश्त होने बाबत वकील प्रार्थी ने निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला मूलवाद इस आशय की जारी की जाना निवेदन किया गया कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के हिस्से खाते कब्जे काश्त की आराजी मोजा भीण्डा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त खाते की जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 के खाता नम्बर 54 नया के किता 37 का कुल रकबा 32.12 बिस्वा जिसमें प्रार्थी का बहिस्सा 1/10 हिस्से में किसी प्रकार से अतिक्रमण करने की चेष्टा नहीं करे। प्रार्थी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें, काश्त करने में प्रार्थी को नहीं रोके न ही किसी अन्य को विक्रय करें। प्रार्थी को अपने हिस्से में निर्माण कार्य करने में नहीं रोके और न ही ऐसा कृत्य करे जिससे प्रार्थी के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे इस बाबत दाद चाही गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी विरासती आराजी को अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला मूलवाद इस आशय की जारी की जाना निवेदन किया गया कि विपक्षीगण प्रार्थीगण के हिस्से खाते कब्जे काश्त की आराजी मोजा भीण्डा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त खाते की जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 के खाता नम्बर 54 नया के किता 37 का कुल रकबा 32.12 बिस्वा जिसमें प्रार्थी का बहिस्सा 1/10 हिस्से में किसी प्रकार से अतिक्रमण करने की चेष्टा नहीं करे। प्रार्थी के चले आ रहे शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें, काश्त करने में प्रार्थी को नहीं रोके न ही किसी अन्य को विक्रय करें। प्रार्थी को अपने हिस्से में निर्माण कार्य करने में नहीं रोके और न ही ऐसा कृत्य करे जिससे प्रार्थी के चले आ रहे स्वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे इस बाबत दाद चाही गई।<br>प्रार्थना पत्र में ता फैसला मूलवाद के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।<br>निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।<br><br>(के.आर.खौड RAS)<br>उपखण्ड मजिस्ट्रेट<br>सीमलवाडा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 11:59:17 IST
Reason: SelfAttested